प्रेषक,

अशोक कुमार–**IX**,
प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय फर्रुखाबाद।

सेवा में,

महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक– 151/XV कुटुम्ब न्यायालय फर्रुखाबाद: दिनांक– सितम्बर, 2024

विषय– वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–22 के संपत्ति विवरण में आयी आपत्ति के निस्तारण के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त सम्बन्ध में सादर निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रार्थी के SBI खाता संख्या 32155293923 में वित्तीय वर्ष 2019–20 के अन्त में अंकित धनराशि 1773/–रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 के अन्त में उपरोक्त वेतन खाते में दर्शित धनराशि 24,09,569/– में अन्तर के सम्बंध में आख्या प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त सम्बंध में यह निवेदन करना है कि प्रार्थी के एटा जनपद में नियुक्ति के दौरान दिनांक 21.11.2019 को कार दुर्घटना में कार के क्षतिग्रस्त होने व गम्भीर रूप से घायल होने के कारण लगातार दिनांक 21.11.2019 से 04.03.2020 तक चिकित्सीय व अर्जित अवकाश पर रहना पडा था जिसके कारण उपरोक्त अवधि का वेतन प्राप्त नहीं हुआ और उक्त दुर्घटना में निजी Wagonr कार के क्षतिग्रस्त होने के कारण दिनांक 17.02.2020 को मेरे द्वारा Verna कार UP82AH1601 मु० 10,80,000/–(दस लाख अस्सी हजार रूपये) में क्रय की गयी जिसका भुगतान उक्त SBI खाता संख्या 32155293923 से किया गया जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2019–20 के अन्त में मात्र 1773/– रूपये की धनराशि शेष बची थी।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के अन्त में दर्शित धनराशि मु० 24,09,569/– के सम्बंध में निवेदन करना है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 व 2021–22 के दौरान वेतन से प्राप्त धनराशि मु० 24,09,569/– दर्शित किया गया है जिसके कारण तुलनात्मक रूप से धनराशि में अन्तर दर्शित हो रहा है।

आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

दिनांक–04.09.2024

भवदीय,

अशोक कुमार
(अशोक कुमार–IX)
प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय फर्रुखाबाद।